UPFD010006752021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (डी०ए०ए०)/
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2, फिरोजाबाद।

उपस्थित – **सर्वेश कुमार पाण्डेय**, "एच०जे०एस०" **(UP–6186)**

सत्र वाद सं०–**348/2021**

उत्तर प्रदेश राज्य ––––––––––––––– अभियोजन पक्ष।

बनाम

सोनू यादव पुत्र कप्तान सिंह, निवासी ग्राम जैबरा, थाना मक्खनपुर, जिला फिरोजाबाद।

––––––––––– अभियुक्त।

मु०अ०सं०–575/2020
धारा–392, 411 भा०दं०सं०
थाना–जसराना, जिला फिरोजाबाद।

<u>जुर्म इकबाल के सम्बंध में आदेश/निर्णय</u>

1– प्रस्तुत सत्र वाद संख्या–348/2021, राज्य बनाम धर्मेन्द्र आदि मु०अ०सं०–575/2020, अन्तर्गत धारा–392, 411 भा०दं० सं० में संज्ञान दिनांक 13–01–2021 को विशेष न्यायालय द्वारा लेने के उपरांत विचारण प्रारम्भ किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 26–12–2020 को समय 9.48 बजे, थाना जसराना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०–575/2020 धारा 392 भा०दं०सं० वादी मुकदमा अनुराग द्वारा इस आशय से पंजीकृत करायी गयी कि आज दिनांक 14–12–2020 को समय सुबह 6.00 बजे गाँव से कोचिंग पढ़ने मोबाइल की लाइट जलाकर जा रहा था, तभी पीछे से दो बाइक सवार आये और उसके हाथ से फोन छीनकर कस्बा मैन चौराहा की तरफ चले गये थे। घटना चौराहे के पास स्थित इलाहाबाद बैंक के थोड़े पीछे की है, जिसको ढूंढ़ने का काफी प्रयास किया नहीं मिल पाया। यह मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत पुलिस द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी और दौरान विवेचना अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा

सं०–575/2020 अन्तर्गत धारा 392, 506 भा०दं०सं० में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया और उक्त आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। पत्रावली में अभियोजन द्वारा साक्षी परीक्षित कराये जा चुके हैं।

अभियुक्त सोनू यादव पुत्र कप्तान सिंह न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया और इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी बहुत गरीब एवं असहाय व्यक्ति है।उसका कोई पैरोकार नहीं है। प्रार्थी उक्त वाद में दिनांक 03–01–2021 से जिला कारागार में निरूद्ध है तथा उपरोक्त वाद को जुर्म इकबाल के आधार पर निस्तारण कराना चाहता है। इसके साथ–साथ अभियुक्त द्वारा इस सम्बंध में कथन किया गया है कि वह बिना किसी दबाव के अपने जुर्म को स्वीकार कर रहा है और इस सम्बंध में उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है।

अभियुक्त को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392, 411 के अन्तर्गत दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पुनः पेश हो।

दिनांक– 19–06–2025

(सर्वेश कुमार पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश (डी०ए०ए०)/
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2, फिरोजाबाद

दिनांक– 19–06–2025

<u>दण्ड के सम्बंध में आदेश</u>

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुयी। अभियुक्त द्वारा इस आशय का कथन किया गया है कि अभियुक्त गरीब है तथा उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये। न्यायालय में उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है और अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

उभय पक्ष को सुनने के पश्चात पत्रावली को परिशीलन किया गया। अभियुक्त की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को–

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 के अन्तर्गत 4 वर्ष 5 माह के कठोर कारावास तथा

दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है और अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 के अन्तर्गत 3 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा जिला कारागार में बिताई गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी और सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

दिनांक– 19–06–2025

(सर्वेश कुमार पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश (डी०ए०ए०)/
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2, फिरोजाबाद।
(UP–6186)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक– 19–06–2025

(सर्वेश कुमार पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश (डी०ए०ए०)/
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2, फिरोजाबाद।
(UP–6186)